

FROM-I

(For linear projects)

Government of Chhattisgarh

Officer of the District Collector Korba (C.G.)

--****--

क्र. / 05 / भू.अ./वन अधि./2018

कोरबा दिनांक 03/01/2018

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC(pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **35.885 hectare of revenue forest land & 23.483 hectare of forest land Total Area 59.368 hectare land** proposed to be diverted in favour of **Chhattisgarh East Railway Limited for Chhattisgarh East-West Railcorridor Uрга to Dharamjaygarh Rail Line project work in Korba district falls within jurisdiction of Dongdarha, Uрга in korba tehsil and Gidhour, Dongaama, Bodajhap, Kervadwari, Sendripali, Bandhapali, Pidiya, Jogipali, Tenganmar, Dadarkala, Fatteganj, Botali, Nondarha villages in Kartala tehsils.**

It is further certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for entire **35.885 hectare of revenue forest land & 23.483 hectare of forest land Total Area 59.368 hectare land** area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committees and the Sub Divisional level Committee are enclosed .
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized right of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encls : As above.

(Md. Qaiser Abdul Haque)
Collector

Korba (Chhattisgarh)

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कोरबा (छ०ग०)

// अनापत्ति प्रमाण पत्र //

क्र./ 05 / भू.अ./वन अधि./2018

कोरबा दिनांक 03/01/2018

प्रति,

✓ मुख्य कार्यपरिचालन अधिकारी
सीएसआईडीसी कॉम्प्लेक्स, महादेव घाट रोड
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड के द्वारा उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु प्रभावित वनभूमि के उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत।

संदर्भ :- आपका पत्र क्रमांक / CERL/CEWRL/17-18 Date : 05.03.2018

—000—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। मेसर्स, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर परियोजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड के द्वारा उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण कार्य हेतु जिले में वन मण्डल कोरबा अंतर्गत प्रभावित होने वाले राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि कुल रकबा 59.368 हेक्टेयर भूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन बाबत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत वन मण्डलाधिकारी कोरबा एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा.) कोरबा से संयुक्त जांच सहित प्रतिवेदन प्राप्त। प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है -

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	खसरा नंबर	आवेदित रकबा (हे० में)	मद	कैफियत
1	कोरबा	ढोंगदरहा	668	0.170	बड़े झाड़ के जंगल	
2	कोरबा	उरगा	1214/1	0.048	बड़े झाड़ के जंगल	
3	करतला	गिधौरी	1200	3.658	बड़े झाड़ के जंगल	
4	करतला	गिधौरी	112/1	0.313	बड़े झाड़ के जंगल	
5	करतला	गिधौरी	1140	1.145	बड़े झाड़ के जंगल	
6	करतला	गिधौरी	1194	2.968	बड़े झाड़ के जंगल	
7	करतला	डोंगाआमा	226	1.008	बड़े झाड़ के जंगल	
8	करतला	डोंगाआमा	11/1	1.582	बड़े झाड़ के जंगल	
9	करतला	डोंगाआमा	221/1	0.112	बड़े झाड़ के जंगल	
10	करतला	डोंगाआमा	1/1	0.769	बड़े झाड़ के जंगल	
11	करतला	डोंगाआमा	206/1	0.203	बड़े झाड़ के जंगल	
12	करतला	डोंगाआमा	241/1	0.145	बड़े झाड़ के जंगल	

//1//

A

13	करतला	डोंगाआमा	58/1, 56/4, 57/2, 59/2	1.522	बड़े झाड़ के जंगल	
14	करतला	बोड़ाझाप	69/1	2.428	बड़े झाड़ के जंगल	
15	करतला	केरवांद्वारी	313	0.610	बड़े झाड़ के जंगल	
16	करतला	केरवांद्वारी	18/1	0.242	बड़े झाड़ के जंगल	
17	करतला	केरवांद्वारी	125/1 क	0.644	बड़े झाड़ के जंगल	
18	करतला	सेन्द्रीपाली	751	2.518	बड़े झाड़ के जंगल	
19	करतला	सेन्द्रीपाली	223	0.492	बड़े झाड़ के जंगल	
20	करतला	बाधापाली	354	1.150	बड़े झाड़ के जंगल	
21	करतला	पिड़िया	807/1	2.745	बड़े झाड़ के जंगल	
22	करतला	पिड़िया	1126/10	0.176	छोटे झाड़ के जंगल	
23	करतला	जोगीपाली	210/1	1.809	बड़े झाड़ के जंगल	
24	करतला	जोगीपाली	547/1	0.011	बड़े झाड़ के जंगल	
25	करतला	जोगीपाली	553/1	0.289	छोटे झाड़ के जंगल	
26	करतला	टेंगनमार	26/1	1.512	बड़े झाड़ के जंगल	
27	करतला	दादरकला	960	0.829	बड़े झाड़ के जंगल	
28	करतला	दादरकला	953	0.302	बड़े झाड़ के जंगल	
29	करतला	फत्तेगंज	1/1	0.395	बड़े झाड़ के जंगल	
30	करतला	बोतली	5/1	1.730	बड़े झाड़ के जंगल	
31	करतला	नोनदरहा	49/1	2.075	बड़े झाड़ के जंगल	
32	करतला	नोनदरहा	69/1	2.285	बड़े झाड़ के जंगल	
	राजस्व वन भूमि योग			35.885		
33	करतला	गिधौरी	OA 1302	8.515	नारंगी वन	
34	करतला	बोड़ाझाप	OA 1458	1.701	नारंगी वन	
35	करतला	केरवांद्वारी	OA 1484	1.685	नारंगी वन	
36	करतला	जोगीपाली	OA 1466	4.341	नारंगी वन	
37	करतला	टेंगनमार	P 1149	1.562	संरक्षित वन	
38	करतला	टेंगनमार	P 1150	1.793	संरक्षित वन	
39	करतला	बोतली	P 1151	3.886	संरक्षित वन	
	वन भूमि योग			23.483		
	कुल योग			59.368		

छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड के द्वारा उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन परियोजना निर्माण से प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन में 17 हितग्राहियों का वन अधिकार पत्र कुल रकबा 5.072 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हो रहा है, विवरण निम्नानुसार है—

क्र	तहसील	ग्राम का नाम	दावेदार का नाम/पिता का नाम जिनको वन अधिकार पत्र प्राप्त हुआ है उनकी भूमि प्रभावित हो रही है	खसरा नंबर	वितरित रकबा
1	करतल	गिधौरी	जगदीशसिंह/मुखीराम कंवर	1140	0.315
2			जगदेवसिंह/नानदाउ कंवर	1140	0.170
3			महेत्तरसिंह/चमरा कंवर	1302	0.170
4			फगुनहा/पतंग धनुहार	1302	0.061
5		डोंगाआमा	रोहितकुमार/फुलसिंह कंवर	211/1 से	0.056
6			सुखसिंह/ननकी कंवर	211/1 से	0.056
7			अमरसिंह/सिदारसिंह कंवर	1/1	0.303
8			चमारराय/जयलाल कंवर	241/1 से	0.101
9			सुभउराम/बोधराम खैरवार	11/1 से	0.607
10			होसराम/जहान	11/1 से	0.121
11		बोड़ाझाप	रामप्रसाद/मंगल	69/1	0.486
12			जगन्नाथ/रामप्रसाद	69/1	0.486
13			उमैदसिंह/इंजोरसिंह	69/1	0.607
14			चीनीलाल/इंजोरसिंह	69/1	0.405
15			चैनसिंह/इंजोरसिंह	69/1	0.324
16			विजय/मोहरसिंह	69/1	0.160
17		केरवांद्वारी	श्यामलाल/धम्मनसिंह	125/1क से	0.644
			योग		5.072

उक्त परियोजना में प्रश्नाधीन भूमि के व्यपवर्तन में प्रस्तावित भूमि पर कोई विलुप्तप्राय जनजाति समूह के सदस्य निवासरत नहीं है एवं न ही शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा प्रभावित हो रही है।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक F.No. 11-9/98-FC(pt.) दिनांक 3 फरवरी 2013 के द्वारा लिनियर परियोजना (सड़क, नहर, पाईपलाईन/आपटिकल बाईबर बिछाने, ट्रांसमिसन लाईन इत्यादि) के लिये भूमि व्यपवर्तन हेतु ग्राम सभा से छूट प्रदाय की गई है।

अतः वनमण्डल कोरबा अंतर्गत ग्राम ढोंगदरहा, उरगा, गिधौरी, डोंगाआमा, बोड़ाझाप, केरवांद्वारी, सेन्द्रीपाली, बांधापाली, पिड़िया, जोगीपाली, टेंगनमार, दादरकला, फत्तेगंज, बोटली, नोनदरहा में राजस्व वन भूमि रकबा 35.885 हेक्टेयर हेक्टेयर, वन भूमि रकबा 23.483 हेक्टेयर, कुल रकबा 59.368 हेक्टेयर में मेसर्स, छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर रायपुर के द्वारा उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन परियोजना निर्माण हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 में निहित विधि प्रावधान के अंतर्गत गैर वानिकी प्रयोजन हेतु उपयोग करने की अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा प्रदान की जाती है, तो इस कार्यालय को निम्न शर्तों के अधीन कोई आपत्ति नहीं है—

1. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र मात्र उपरोक्त उल्लेखित राजस्व वन भूमि एवं वन भूमि पर मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर को उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु दी जा रही है। इसके अतिरिक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता।
2. मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर को उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु अन्य सभी संबंधित विभागों से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा।
3. मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर को उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण परियोजना से किसी प्रकार की क्षति होती है तो इसकी संपूर्ण जवाबदारी आवेदक संस्थान की होगी।
4. इस अनुमति के द्वारा विभाग के स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं किया जा रहा है।
5. मेसर्स छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेल कारीडोर को उरगा से धरमजयगढ़ तक रेल लाईन निर्माण परियोजना में प्रभावित होने वाले वृक्षों को काटे जाने की अनुमति सक्षम न्यायालय/विभाग से लिया जाना होगा।
6. आवेदित भूमि पर सीमांकन उपरान्त शासन द्वारा निर्मित एवं संचालित भवन स्थित होने पर संबंधित भवन का मूल्यांकन उपरान्त मूल्यांकित राशि संबंधित संस्था छ0ग0 शासन राजस्व विभाग को देय होगी।

(मो० कैसर अब्दुल हक)
कलेक्टर

कोरबा (छत्तीसगढ़)
कोरबा दिनांक 03/01/2018

पृ. क्र./ 06 / भू.अ./वन अधि./2018
प्रतिलिपि:—

1. सचिव, छ0ग0 शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. वन मण्डलाधिकारी कोरबा की ओर सूचनार्थ।
3. अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा की ओर सूचनार्थ।

कलेक्टर
कोरबा (छत्तीसगढ़)
कोरबा (छत्तीसगढ़)